

**न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,
जैतारण (जिला-पाली) राज0**

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 26/2018

GCMS NO. : 2018/00042

-:: प्रार्थी ::-

बनाम

-:: अप्रार्थीगण ::-

1. पुखराज पुत्र बुधाराम
जाति- कुमावत, निवासी- ग्राम
निमाज, तहसील- जैतारण,
जिला- पाली।

1. नाथूराम पुत्र छगनाराम
2. बुधाराम पुत्र छगनाराम
3. कालूराम पुत्र छगनाराम
4. मांगीलाल पुत्र रावतराम
जातियान- कुमावत, निवासीगण-
ग्राम निमाज, तहसील- जैतारण,
जिला- पाली।
5. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजु: 05/02/2018


उपस्थित: 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

2. श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक: 30/03/2021

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायल ने एक वादपत्र बाबत घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया हुआ है। जिसमें सायल के सफल होने की पूर्ण संभावना है सायल की ओर से प्रस्तुत मूल वादपत्र के निस्तारण में काफी लम्बा समय लगेगा। तब तक गैरसायलान मौके पर स्थित कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने हेतु मौके पर दुकान बनाने व अन्य निर्माण कार्य करने को आमादा है एवं विवादित भूमि की उपयोगिता व मौका स्थिति में रदोबदल कर रहे है। इस प्रकार से मूल वादपत्र के अन्तिम निस्तारण के दाद सायल को भारी परेशानी होगी। इसलिए मूल वादपत्र के निस्तारण तक विवादित जायदाद को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष सादर प्रस्तुत है। इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि- राजस्व मौजा ग्राम निमाज पटवार हल्का निमाज प्रथम तहसील जैतारण, जिला- पाली में वाके आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 19-12 बीघा किस्म चाही प्रथम में सायल 1/4 वां हिस्से के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार था। जिसके समर्थन में जमाबंदी संवत 2061 से 2064 इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। उक्त भूमि सायल की पैतृक व पुश्तैनी है। सायल व गैरसायलान सभी नवलाराम जी के वंशज है। जिनकी वंश वृक्षावली मूल वादपत्र में दर्शाई हुई है। नवलाराम जी के दो पुत्र क्रमश जेठाराम व सूजाराम जी थे। जिनमें से सायल सूजाराम जी का पोत्र है तथा गैरसायलान जेठाराम जी के वंशज है। इस मूल वादपत्र व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सूजाराम जी व जेठाराम जी दोनों का 1/2


सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वां हिस्सा था। जिससे प्रार्थी के दादा जी सूराराम जी का 1/4 वां हक हिस्सा व अधिकार है। जिसके सम्बन्ध में दस्तावेजी सबूत भी इस कार्यवाही के साथ पेश है। सायल के हिस्सेदार रतनाराम के चारिगान घेवरराम, हरीराम व मलाराम पिराराम रतनाराम जी ने अपना सम्पूर्ण 1/4 वां हिस्से का 1/4 यानि कि 1/16 वां हक हिस्सा शांतिदेवी पति दुर्गाराम जी को बेचान कर दिया था। तदुपरान्त शांतिदेवी पति दुर्गाराम जी को बेचान कर दिया था। तदुपरान्त शांतिदेवी पत्नी दुर्गाराम जी ने उक्त जायदाद बगदाराम पुत्र भानाराम पुत्र भानाराम जी व जयताराम पुत्र कालूराम जी को बेचान कर दी है। जिनका इस जायदाद में 1/6 हक हिस्सा व अधिकार है। इसी प्रकार सहहिस्सेदार बचना पत्न जोठा जी ने अपनी उक्त जायदाद गलाराम पुत्र बालूराम जी को 1/16 वां का 3/4 वां सोहनलाल पुत्र गोपूराम को 1/16 का 1/4 हिस्सा बेचान कर दिया है। इस प्रकार से जायदाद भवंरराम व मांगीलाल का संयुक्त रूप से 1/16 वां हक हिस्सा व अधिकार है। न इस जायदाद में सायल का 1/2 का 1/2 यानि कुल का 1/4 वां हक हिस्सा व अधिकार था। जिसमें से सायल ने आशादेवी व इससे पूर्व ओगडराम को दो बार अलग अलग हिस्सों 02-19 बीघा भूमि का बेचान कर दिया है तथा शेष भूमि सायल के हक हिस्से व अधिकार में है। सायल ने ओगडराम व आशादेवी को जो भूमि बेचान की थी। उक्त बेचान विलेख के दौरान दस्तावेज लेखक ने गलती से सायल का हक हिस्सा 1/4 की बजाय 1/10 वा हिस्सा होना लिख दिया था। जिससे चौशाला जमाबंदी संवत् 2029 से 2072 में सायल का पूरा नाम ही राजस्व रेकर्ड से हटा दिया गया था। जो काबिल दुरुस्ती के होने से यह प्रार्थना पत्र सादर पेश है। वादग्रस्त आराजी सायल व आशादेवी संयुक्त रूप से 1/4 वें हक हिस्से की अधिकारी है। जिनमें से आशादेवी संयुक्त रूप से 1/4 वां रकबा 04-18 बीघा के काबिज खातेदार काश्तकार एवं हिस्सेदार है। जिसमें से आशादेवी के पास 01-19 बीघा भूमि जो कि बेचान की हुई है एवं शेष 02-19 बीघा का सायल काबिज खातेदार काश्तकार है। कारण कि इस भूमि का जरिये आपसी सहमति से नामान्तरणकरण संख्या 4801 दिनांक 05.09.2016 के जरिये बंटवाड़ा हो चुका है। इसलिए सायल अपने हक हिस्से की 02-19 बीघा भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है एवं शेष भूमि माफिक हक हिस्से अनुसार गैरसायलान के नाम रखी जाना न्यायहित में आवश्यक है, दिगर 1/2 हिस्से की भूमि के बाबत कोई विवाद नहीं है। इसलिए उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। इसी माफिक सायल अपनी 02-19 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवाने के एवं ऐसी घोषणा करवाने का अधिकारी होने सह प्रार्थना पत्र बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित हिस्से माफिक सायल की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। जिस पर सायल को अपने पूर्वजों के समय से हक व अधिकार प्राप्त है। इसी माफिक सायल का मौके पर कब्जा व काश्त भी है। उसके बावजूद भी गैरसायलान आये दिन सायल के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करना चाह है तथा लाठी लकड़ी के बल पर सायल को उनकी आराजी से बेकाबिज करने को आमादा है। गैरसायलान मौके पर स्थित कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने हेतु मौके पर

सहायक कमिश्नर पदेन
उपरखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दूकान बनाने व अन्य निर्माण कार्य करने को आमादा है एवं विवादित भूमि की उपयोगिता व मौका स्थिति में रदोबदल करने को आमादा है। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। गैरसायलान यदि लाठी लकड़ी के बल पर विवाद करते हुये सायल को उनके हक हिस्से की आराजी से बेकाबिज कर देते है तो सायल को भारी आर्थिक नुक्सान होगा एवं सायल अपनी पैतृक पुश्तैनी आराजी से वंचित हो जायेगें। जिससे सायल को भारी परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा तथा गैरसायल द्वारा की जाने वाली ऐसी अवैधानिक कार्यवाही का सायलान विरोध करेगें। जिससे विवाद होगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। दिनांक 30.01.2018 को गैरसायलान ने सायल को उनके हक हिस्से की आराजी से बेकाबिज करने एवं लड़ाई झगड़ा व विवाद करने का एलानिया कथन किया है। इस प्रकार यदि गैरसायलान ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते है, तो सायल को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं है। इस वजह से भी सायल गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काशत के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित है, यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायल को उनके हक हिस्से की आराजी से बेदखल कर देते है या गैरसायलान मौके पर स्थित कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने हेतु मौके पर दूकान बनाने व अन्य निर्माण कार्य कर देते है एवं विवादित भूमि की उपयोगिता व मौका स्थिति में रदोबदल कर देते है। मौके पर सायल के कब्जे काशत में दखलंदाजी करते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायल के पक्ष में प्रमाणित है, तब यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान इस आशय की जारी फरमावे कि इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित विवादित भूमि जो राजरव मौजा निमाज, पटवार हल्का निमाज द्वितीय, तहसील जैतारण जिला- पाली (राज.) में वाके आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 19-12 बीघा किस्म चाही प्रथम में सायल को अपने हक हिस्से की 02-19 बीघा भूमि पर सायल बतौर खातेदार काशतकार के काबिज होकर काशत करे या करावे एवं काशत मुतालिक तमाम कार्य खड़ाई, बुवाई, निराई, गुड़ाई, छटाई, पिलाई, कटाई आदि करें या करावें एवं उपयोग उपभोग करे तो उसमें गैरसायला स्वयं उनके पारिवारिक सदस्य, नौकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से कोई दखलंदाजी, हस्तक्षेप, बाधा, अड़चन व व्यवधान पैदा नही करे न ही करावे एवं न ही उक्त विवादित भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ काम में लेवे व न ही मौके पर दूकान बनावे व न ही अन्य निर्माण कार्य करे एवं विवादित भूमि की उपयोगिता व मौका स्थिति में रदोबदल नही करे ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक गैरसायलान को रोका जावे। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जो सा०मि० है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 ने जवाब प्रार्थना-पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तथ्यों का जवाब है कि सायल ने एक वादपत्र के उपरोक्त अनवान का श्रीमान के समक्ष झूठे गलत बेबूनियाद एवं मनगढन्त तथ्यों का समावेश कर पेश किया गया है कि जिसमें सायल को सफल होने की कतई संभावना नहीं है। इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य झूठे गलत असत्य होने से जवाब देहन्दागण अस्वीकार करते हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 का जवाब है कि उपरोक्त पद में वर्णित खसरा नम्बर की जमीन अवश्य ही आई हुई है लेकिन उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित वादग्रस्त आराजी में सायल का 1/4 हिस्सा बताया गया है वह कतई गलत व बेबूनियाद है। इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 3 का जवाब है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में सायल के दादा सुजाराम व उनके भाई जेठाराम का 1/2 वां हिस्सा होना बताया गया है जो कतई गलत व असत्य होने से अस्वीकार है बल्कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि बेरा लाखीणा निमाज के कुल खसरे 16 कुल रकबा 60-06 बीघा की भूमि सेटलमेन्ट के पूर्व से स्थित थी। इसी रूप में आई हुई है। उक्त भूमि सेटलमेन्ट के पूर्व कुल चार हिस्सों में बंटी हुई थी जिसमें 1/4 वां हिस्सा जवाब देहन्दागण के पूर्वज जेठ वल्द नवला व सायल के पूर्वज सुजा पुत्र नवला का था, 1/4वां हिस्सा पूसा पुत्र मंगा का, 1/4वां हिस्सा लुम्बा वल्द शिवजी व 1/4 वां हिस्सा लालू वल्द शिवजी का था तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं तथा 1/4 वां हिस्सा पूसा पुत्र मंगा का जवाब देहन्दागण के पूर्वज जेठ पुत्र नवला ने दिनांक 13.02.1950 को खरीद कर लिया तथा खरीद के वक्त से ही जेठ वल्द नवला काबिज होकर काशत करते व वर्तमान में उनके वारिसान काबिज होकर काशत करते आ रहे हैं व जवाब प्रार्थना पत्र के साथ बापी पट्टा, खसरा गिरदावरी व अन्य दस्तावेजात भी पेश किये जा रहे जिसे जवाब प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य झूठे बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 4 का जवाब है कि उक्त पद में सायल के हिस्सेदार रतनाराम के वारिसान घेवरराम, हरीराम व मल्लाराम पिसरान् रतनाराम जी ने अपने हक हिस्से की भूमि का आवश्यक ही बेचान किया व बचना वल्द जेठ जी ने भी अपने हिस्से की भूमि का बेचान अवश्यक कर दी लेकिन जो हक हिस्सा उक्त पद में वर्णित किया जो कतई गलत झूठे व बेबूनियाद है क्योंकि उक्त वादग्रस्त भूमि में सायल का 1/4 का 1/2वां हिस्सा यानि कुल का 1/8 वां हिस्सा ही आता है एवं उसमें से 1-19 बीघा भूमि का बेचान कर दिया तथा जवाब देहन्दागण गैरसायलान संख्या 1 से 5 व बेचानकर्ता रतनाराम पुत्र जेठाराम वल्द नवला जी का उक्त भूमि में 3/8 वां हिस्सा निहित है यानि जवाब देहन्दागण के पूर्वज जेठजी का 1/4 में से 1/2 वां हिस्सा एवं जो 1/4 वां हिस्सा पुसा वल्द मंगाजी से जेठजी ने खरीद दिनांक 13.02.1950 को खरीद किया लेकिन सहवन से उक्त हिस्से का राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करना रह गया। जबकि मौके पर आज भी जवाब देहन्दागण इसी हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं एवं उपयोग बेरोकटोक कर रहे हैं। इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत व बेबूनियाद होने से जवाब देहन्दागण अस्वीकार करते हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 का जवाब है कि उक्त पद में वर्णित तथ्य की सायल ने गैरसायलान ओगड़राम व आशादेवी को भूमि बेचान की थी उक्त बेचान विलेख के दौरान दस्तावेज लेखक ने गलती से सायल का हक हिस्सा 1/4 की बजाय 1/10 वां हिस्सा होना लिख दिया था का कथन पूर्णतया गलत व बेबूनियाद है बल्कि खरीददार ओगड़राम व आशादेवी उक्त भूमि के पडौसी होने से एवं एक ही जाति समाज के होने से सायल एवं जवाब देहन्दागण के यहां बेरे लाखीणा पर आना जाना रहता है जिससे उनको पूर्ण रूप से जानकारी है कि उक्त भूमि में सायल का 1/8 वां हिस्सा ही आता है और उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है तथा जवाब देहन्दागण भी 3/8 वें हिस्से में से 1/4-1/4 हिस्से के हिस्सेदार है। इस प्रकार सायल राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने का कतई अधिकारी नहीं है इस कारण से भी यह प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 का जवाब है कि उक्त पद में वर्णित कथन कि वादग्रस्त आराजी में सायल एवं गैरसायलान् आशादेवी संयुक्त रूप से 1/4 वे हिस्से की अधिकारी है का कथन पूर्णतया असत्य है। क्योंकि जब उक्त वादग्रस्त भूमि में सायल का 1/4 वां हिस्सा ही निहित नहीं है तो 2-19 बीघा भूमि पर काबिज काशतकार होना संभव ही नहीं है तथा सायल ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का बेचान पूर्व में ही आशादेवी को 1-19 बीघा भूमि का कर दिया जिस पर आशादेवी काबिज है तथा नामान्तरण संख्या 4801 दिनांक 05.09.2016 को जरिये बंटवाड़ा हो चुका है। इसके अलावा इस पद में वर्णित तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है तथा सायल घोषणा करवाने के कतई अधिकारी नहीं होने से भी सायल का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 7 का जवाब है कि जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात् तथा जवाब देहन्दागण का मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काशत के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला सायल की बजाय जवाब देहन्दागण के पक्ष में प्रमाणित है। यदि झूठे, गलत बेबूनियाद असत्य कथनों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जवाब देहन्दागण के विरुद्ध पारित की जाती है तो अपूरणीय क्षति भी जवाब देहन्दागण को होना सुनिश्चित है एवं जवाब देहन्दागण अपने साम्पतिक हक अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। इस कारण से सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दू प्रमाणित नहीं होने से सायल द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावें अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र तथा दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र किसी दृष्टिकोण से चलने योग्य नहीं होने से खर्चा हर्जा खारिज फरमावें।

बहस वकूलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम, 1955 पर सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित पश्चात्वर्ति प्रार्थनापत्र संख्या 27/2018 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थाना काशतकारी अधिनियम बेअनवान नाथूराम बनाम पुखराज

सहायक/कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जिसे न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.01.2021 द्वारा हस्तगत पत्रावली के साथ संयोजित किया गया था, उक्त दोनों प्रकरणों का सम्मिलित रूप से बिंदुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है:-

1. प्रथम दृष्टया मामला :- प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी पुखराज द्वारा अप्रार्थीगण नाथूराम वगैरा के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं अभिलेख दुरुस्ती बाबत् वाद प्रस्तुत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थी के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 304 रकबा 19-12 बीघा में प्रार्थी का 1/4वां हिस्सा अभिलिखित था, जो जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 ग्राम निमाज प्रथम में अभिलिखित है। वादग्रस्त आराजी में से बैचान के दौरान दस्तावेज रेकर्ड द्वारा गलती से प्रार्थी का हिस्सा 1/4 के बजाय 1/10 हिस्सा दर्ज कर दिया। जिससे चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 में प्रार्थी का पूरा नाम अभिलेख से विलोपित कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के बजाय अप्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेख जमाबन्दी सम्वत् 2061-2064 एवं सम्वत् 2069-2072 ग्राम निमाज प्रथम तथा खसरा संख्या 304 रकबा 19-12 बीघा से सम्बन्धित पंजीबद्ध विलेख पत्रों के अवलोकन से मूल प्रकरण के अनुतोष के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी किये बिना हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि प्रार्थी के कथनों की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

इसी प्रकार पश्चातवर्ति प्रकरण संख्या 27/2018 में प्रार्थीगण नाथूराम वगैरा द्वारा अप्रार्थी पुखराज के विरुद्ध खसरा संख्या 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 304 कुल खसरा 10 ग्राम निमाज प्रथम में सहखातेदारान् के हिस्से से सम्बन्धित रेकर्ड दुरुस्ती एवं बाई मिण्टस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा बाबत् वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में सहखातेदारान् के हिस्से से सम्बन्धित अभिलेखिय त्रुटि को लेकर दोनों पक्षों की सहमति है तथा ऐसी त्रुटियों के निस्तारण तक अभिलेख की वर्तमान स्थिति को अपरिवर्तित रखा जाना प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन के लिये आवश्यक है। अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपने हक हिस्से तक उभय पक्षकारान् के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित होना साबित होता है।

2. सुविधा का सतुंलन :- संयुक्त अविभाजित आराजी के सम्बन्ध में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक कब्जा काश्त माना जाना स्वीकृत सिद्धांत है। भू-अभिलेखिय त्रुटि से सुविधा के सतुंलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्ष के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है, अतः यह बिन्दू भी उभयपक्ष के पक्ष में निहित होना साबित होता है।

3. अपूर्णनीय क्षति :- चूंकि उपर्युक्त दोनों बिन्दू उभयपक्ष के पक्ष में साबित हुये हैं साथ ही भू-अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में सहखातेदारान् के अभिलिखित हिस्से के सम्बन्ध में त्रुटि को लेकर उभयपक्ष की सहमति

सहायक जज (पदेन)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हे तथा जब तक भू-अभिलेख में विद्यमान त्रुटियों का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है तब तक यदि भू-अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार के परिवर्तन को रोका नहीं गया तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा। जिससे प्रत्यक्ष रूप से उभयपक्ष प्रभावित होंगे। अतः यह स्पष्ट है कि यदि उभयपक्ष के पक्ष के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि जाती है तो उभयपक्ष को अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभयपक्ष को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करने तथा वादग्रस्त आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी तहसील जैतारण के ग्राम निमाज प्रथम के खसरा संख्या 289, 290, 291, 294, 295, 296, 297, 300, 301, 304 कुल खसरा 10 का बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख एवं वादग्रस्त आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)



निर्णय आज दिनांक 30/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)